राजस्थान सरकार

ायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

संख्या 47/2025

य दिनांक :- 28-5-25

लिछमा बनाम राजस्थान सरकार आदि

अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :— वादीनी लिछमा पत्नी हनुमान निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू ने उक्त धारा के तहत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढाणी भोमपुरा की रोही में खाता संख्या नया 96, पुराना 41, खसरा संख्या 1184/700 तादादी 2.6937 हेक्टेयर में वादीनी का नाम लिछमादेवी पत्नी हनुमानप्रसाद दर्ज है वह गलत है, जबकि वादीनी का सही नाम लिछमा पत्नी हनुमान है। प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिए नोटिस तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया कि वादीनी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है व प्रतिवादीगण संख्या 2 वित्तीय संस्था है, जो बावजूद सम्मन के उपस्थित नहीं अतः उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीनी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अपना परिवार राशन कार्ड, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साण्डवा की पासबुक आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में लिछमादेवी पत्नी हनुमानप्रसाद की बजाय लिछमा पत्नी हनुमान अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी ग्राम ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू के खाता संख्या नया 96, पुराना 41, खसरा नम्बर 1184/700 तादादी 2.6937 हेक्टेयर में अंकित खातेदार लिछमादेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी साण्डवा की बजाय लिछमा पत्नी हुनमान जाति जाट निवासी साण्डवा दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ बीदासर जिला-चूरू ★ सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर